पत्रांक 1554 /

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

माउंट लिटरा जी स्कूल
रामबाग मझौली
कोल्हुआ, मुजफ्फरपुर

विषय : बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम ... के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

मुजo दिनांक 29 · 10 · 2020

महाशय,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 07·07·2020

... एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय माउंट लिटरा जी स्कूल रामबाग मझौली कक्षा I से VIII तक संचालन हेतु ... 2020-21 से 2022-23 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चो का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चो का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका–3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की निर्धारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

Manager
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

Chairman
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

Principal
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार के शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा [illegible] प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार के [illegible] करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण [illegible] किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों [illegible] किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 [illegible] योग्यता के अनुरूप किया जाएगा परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के [illegible] कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित [illegible] अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 [illegible]

(viii) [illegible]

8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

[illegible]

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों का [illegible] अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, निम्नवत् है–

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
कुल निर्मित क्षेत्र,
खेल के मैदान का क्षेत्र,
वर्गकक्षों की कुल संख्या,
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष,
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,
पेयजल की सुविधा,
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर,
बाधारहित पहुँच,
शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

Manager
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur Bihar

Chairman
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

Principal
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

--------3

15 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड [illegible] नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी [illegible] प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा [illegible]

16 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या RTE/AFF/MUZ 2020-21/14 [illegible] इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित [illegible] जाए।

17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर [illegible] प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी [illegible] प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता [illegible] संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर निर्गत अनुदेशों [illegible] किया जाएगा।

18 यदि सोसाईटी के विधान के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है [illegible]

19 अनुलग्नक- III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाजन

28.10.2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
बिहार शिक्षा परियोजना
मुजफ्फरपुर।

28/10/2020

Manager
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur, Bihar

Chairman
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur

Principal
Mount Litera Zee School
Muzaffarpur